प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

आदेश सुरक्षित किया गया :04.02.2025

आदेश पारित किया गया : 12.03.2025

विविध दण्डिक अपील सं 188 /2025

1 – सुनील दत्त पिता श्री गुरुदयाळ सिंह , 35 वर्ष ,निवासी नई आबादी, टुंडपुरा रोड लेन के सामने, रतन वाटिका, आगरा, उत्तर प्रदेश।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, डी. एस. पी., ई. ओ. डब्ल्यू./ए. सी. बी. रायपुर, के द्वारा छत्तीसगढ़

----उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक हेतु : -- श्री मनय नाथ ठाकुर तथा श्री पुष्प कुमार गुप्ता, अधिवक्ताओं के साथ श्री शिशिर प्रकाश, अधिवक्ता वीसी के द्वारा

उत्तरवादी/राज्य हेतु :-- डॉ. सौरभ कुमार पांडे, अतिरिक्त महाधिवक्ता

.---

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा)

सी. ए. वी. आदेश

यह आवेदक द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 तथा भा.दं. सं. की धारा 420,467, 468,471,120-बी और 34 के तहत दंडनीय अपराध करने के अपराध क्रमांक 04/2024 के संबंध में जमानत के लिए बीएनएसएस, 2023 की धारा 483 के तहत जमानत आवेदन है। सत्र न्यायालय, रायपुर द्वारा पारित दिनांक 19.11.2024 के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा वर्तमान जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य :

2. आवेदक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 12 और आईपीसी की धारा 420, 467,468,471,120-बी और 34 के तहत कथित अपराधों के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/आर्थिक

अपराध शाखा की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में यह है कि प्रवर्तन निदेशालय से उप निदेशक द्वारा संख्या ईसीआईआर/आरपीजेडओ/11/2022/279 दिनांक 11.07.2023 का पत्र प्राप्त होने परउत्तरवादी द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ परिवाद दर्ज की गई है। आरोप है कि अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह, अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लों और कई अन्य ने देशी शराब के डिस्टिलरी मालिकों मेसर्स सीजी डिस्टिलरी लिमिटेड, मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड और वेलकम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से कमीशन लिया है। लिमिटेड को शराब की आपूर्ति के लिए दोषी ठहराया गया है और इसे भाग–ए अपराध के रूप में वर्णित किया गया है। भाग–बी में अपराध में अन्य बातों के साथ–साथ यह आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त नामित व्यक्तियों ने शराब बेचने के लिए समानांतर तंत्र बनाया है।शराब का निर्माण कर सरकारी दुकानों से अनाधिकारिक ढंग से बेचा गया है। यह कृत्य डिस्टिलरी मालिकों, बोतल सप्लाई एजेंसी की मदद से और डुप्लीकेट होलोग्राम बनाकर किया गया। यह अपराध वर्ष 2019 से 2023 तक किया गया है। यह अभिकथित गया है कि मेसर्स प्रिज्म होलोग्राम एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विधु गुप्ता ने रायपुर स्थित अपने कार्यालय के माध्यम से डुप्लीकेट होलोग्राम की आपूर्ति की है, जिसमें वर्तमान आवेदक नोएडा कार्यालय में एकाउंटेंट के रूप में काम कर रहा था और चालान जारी कर रहा था।यह अभिकथित किया जाता है कि आवेदक जालसाजी तथा आपराधिक षड्यंत्र में लिप्त है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. आवेदक प्रिज्म होलोग्राम द्वारा नियोजित था और वह नोएडा, यूपी कार्यालय में वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। एफआईआर के अनुसार, राज्य सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों, निजी व्यक्तियों और राज्य सरकार के राजनीतिक अधिकारियों से युक्त एक आपराधिक सिंडिकेट छत्तीसगढ़ राज्य में काम कर रहा था, जो महत्वपूर्ण राज्य विभागों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उच्च स्तरीय प्रबंधन को नियंत्रित करके अवैध रिश्वत संग्रह कर रहा था।छत्तीसगढ़ राज्य में शराब की विक्रय सिंडिकेट की अवैध कमाई के प्रमुख स्रोतों में से एक थी और अनिल टुटेजा के साथ अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी, एमडी सीएसएमसीएल और अनवर ढेबर के अन्य सहयोगी अर्थात् विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू, वर्तमान आवेदक, संजय दीवान और देशी शराब डिस्टिलर, आबकारी अधिकारी आदि सिंडिकेट के मुख्य कर्ता थे।

4. ये सिंडिकेट राज्य में शराब की विक्रय से तीन अलग–अलग तरीकों से अवैध धन एकत्र करते हैं, जिन्हें तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है: ––

भाग ए–छत्तीसगढ़ राज्य में शराब की सरकारी विक्रय हेतु शराब आपूर्तिकर्ताओं से अवैध कमीशन वसूला गया। भाग बी– राज्य द्वारा संचालित दुकानों से बिना हिसाब के अवैध देशी शराब का विक्रय, डिस्टिलर, होलोग्राम निर्माता, बोतल निर्माता, ट्रांसपोर्टर, मानव शक्ति प्रबंधन और जिला आबकारी अधिकारियों की संलिप्तता से की जाती है।

भाग सी – डिस्टिलरों को सिंडिकेट चलाने और बाजार हिस्सेदारी को आपस में बांटने की अनुमति देने के लिए उनसे मिलने वाला वार्षिक कमीशन।

5. ईओडब्ल्यू ने आयकर विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी और डेटा का विश्लेषण किया और उक्त दस्तावेजों के आधार पर, यह पता चला है कि शराब की विक्रय तथा लाइसेंसिंग में अवैध कमीशन कमाने के लिए सिंडिकेट द्वारा एक सुनियोजित व्यवस्थित षड्यंत्र को अंजाम दिया गया था। तदनुसार, अपराध संख्या 04/2024 के तहत एफआईआर दर्ज की गई और अन्वेषण प्रारम्भ किया गया ।

6. अन्वेषण के अनुसार, शराब को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था, अर्थात् देशी शराब और भारत में निर्मित विदेशी शराब।छत्तीसगढ़ राज्य में देशी शराब का उत्पादन तीन डिस्टिलरीज अर्थात मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, मेसर्स भाटिया वाइन एंड मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स वेलकम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से किया जाता था। 2019 से आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। शराब की आपूर्ति को विनियमित करने, उपयोगकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण शराब सुनिश्चित करने, अवैध शराब से होने वाली त्रासदियों को रोकने और राज्य के लिए राजस्व अर्जित करने के लिए वर्ष 2017 में आबकारी विभाग की स्थापना की गई थी।परंतु सह-अभियुक्त अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा के नेतृत्व वाले आपराधिक सिंडिकेट ने शराब नीति को अपनी मर्जी के अनुसार व्यवस्थित रूप से बदलकर इसे उल्टा कर दिया और अपने लिए अधिकतम व्यक्तिगत लाभ कमाया।यद्यपि इसकी शुरुआत एक नेक उद्देश्य से की गई थी, लेकिन यह सिंडिकेट के हाथों का हथियार बन गया, जिसने इसका इस्तेमाल समानांतर आबकारी विभाग को लागू करने के लिए किया।सिंडिकेट में राज्य के वरिष्ठ नौकरशाह, राजनेता और आबकारी विभाग के अधिकारी शामिल थे। फरवरी 2019 में, अरुणपति त्रिपाठी (आईटीएस अधिकारी) को सिंडिकेट द्वारा सीएसएमसीएल का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था और मई 2019 के महीने में उन्हें अनवर ढेबर के कहने पर प्रबंध निदेशक बनाया गया था। आगे यह भी ज्ञात होता है कि सह-अभियुक्त अरुणपति त्रिपाठी को मेसर्स सीएसएमसीएल द्वारा खरीदी गई शराब से एकत्रित रिश्वत कमीशन को अधिकतम करने और सीएसएमसीएल द्वारा संचालित दुकानों में बिना शुल्क वाली शराब की बिक्री के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का काम सौंपा गया था।श्री अनवर ढेबर ने नकद वसूली का काम श्री विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू को दिया और रसद की जिम्मेदारी वर्तमान आवेदक निर्धारित की गई थी।

7. आईएमएफएल और एफएल के संबंध में विदेशी शराब निर्माताओं के लिए नकद रिश्वत वसूलने के लिए, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाले विदेशी ब्रांडों की मजबूत मांग थी, अप्रैल 2020 के महीने में, सिंडिकेट ने एफएल-10 ए लाइसेंस की अवधारणा को पेश करके एफएल निर्माताओं से रिश्वत वसूलने के लिए चौथे प्रकार की व्यवस्था शुरू की।ये लाइसेंस फिर से श्री अनवर ढेबर के तीन चुने हुए सहयोगियों को दिए गए, जिन्होंने मध्यस्थ के रूप में काम किया और विदेशी शराब खरीदी और छत्तीसगढ़ सरकार के गोदामों को बेच दिया और विदेशी शराब पर लगभग 10% कमीशन कमाया।ये लाइसेंस इस शर्त पर दिए गए थे कि एफएल-10 ए लाइसेंस की अंतिम लाभ राशि का 50-60% सिंडिकेट को भुगतान किया जाएगा। तीन लाइसेंस तीन व्यक्तियों को दिए गए, जो कीमतें बढ़ाने और नकद रिश्वत का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए तैयार थे, जिनके नाम संजय मिश्रा (मेसर्स नेक्सजेन पावर इंजीटेक प्राइवेट लिमिटेड; अतुल कुमार सिंह और मुकेश मनचंदा (मेसर्स ओम

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

साईं बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड) और आशीष सौरभ केडिया (मेसर्स दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड) हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-2023 तक सिंडिकेट द्वारा कुल 1660,41,00,056/- रुपये की कमाई की गई, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ। अरुणपति त्रिपाठी, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर और वर्तमान आवेदक नाम के 4 लोगों के खिलाफ प्रारंभिक आरोप पत्र दायर किए गए हैं। शराब का निर्माण और विक्रय सरकारी दुकानों से अभिलेख के बाहर की गई है।यह कार्य शराब बनाने वाली कंपनी के मालिकों, बोतल सप्लाई एजेंसी की मदद से और डुप्लीकेट होलोग्राम बनाकर किया जाता है।मेसर्स प्रिज्म होलोग्राम एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विधु गुप्ता ने रायपुर स्थित अपने कार्यालय के माध्यम से डुप्लीकेट होलोग्राम की आपूर्ति की, जहां वर्तमान आवेदक नोएडा कार्यालय में अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहा था और चालान जारी करता था और यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र में लिप्त था।

आवेदक की ओर से निवेदन :--

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शिशिर प्रकाश ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को एसीबी/ईओडब्ल्यू, रायपुर द्वारा पीसी अधिनियम 1988 की धारा 7 और 12 तथा आईपीसी की धारा 420,467,468,471,120-बी और 34 के तहत कथित अपराध के लिए 20.10.2024 को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि आवेदक मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड में एकाउंटेंट के रूप में काम करता है और निर्देश पर उसने नोएडा कार्यालय से होलोग्राम के डुप्लिकेट चालान जारी किए थे। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को इस तथ्य के बावजूद झूठा फंसाया गया है कि वह संबंधित कंपनी का वेतनभोगी कर्मचारी है। प्रकरण में मुख्य अभियुक्त विधु गुप्ता (निदेशक), निरंजन दास आईएएस (पूर्व आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़) और यश टुटेजा (नामजद आरोपी) वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय से अंतरिम राहत का आनंद ले रहे हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. यह तर्क दिया गया है कि आवेदक के साथ-साथ अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है।वर्तमान आवेदक की एकमात्र भूमिका यह है कि उसने मुद्रित और अमुद्रित होलोग्राम की आपूर्ति के संबंध में दो अलग-अलग प्रकार की प्रविष्टियों का उल्लेख करते हुए चालान तैयार किए।हालांकि 18.11.2024 को आरोप पत्र दायर किया गया है, लेकिन अभी तक कोई आरोप निर्धारित नहीं किया गया है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है तथा वह ईसीआईआर अभियोजन परिवाद में आरोपी नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि आवेदक केवल सुश्री प्रिज्म होलोग्राफी प्राइवेट लिमिटेड का एक कर्मचारी था और कंपनी ने होलोग्राम निर्माण के लिए निविदा आवंटित की थी। कंपनी के निदेशक को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है और यदि मुख्य आरोपी को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाता है, तो वर्तमान आवेदक जो एक कर्मचारी है, की निरंतर अभिरक्षा में रखना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। 10. उन्होंने तर्क दिया कि आवेदक को केवल चालान बनाने की भूमिका सौंपी गई है, जो एक लेखाकार के रूप में उसके पेशेवर कर्तव्यों के अंतर्गत आता है।भले ही आरोप सत्य माने जाएं, लेकिन आवेदक द्वारा कोई आपराधिक

अपराध नहीं किया गया है।माल के चालान तैयार करना उसका नियमित कार्य है। आवेदक का मुख्य अभियुक्त के साथ कोई साझा आशय या आपराधिक षड्यंत्र नहीं है और उसकी भूमिका रायपुर कार्यालय में काम का समन्वय करने और कार्यालय और मालिक के बीच निर्देशों का संचार करने तक ही सीमित थी।इसमें कोई मनसा तर्क नहीं है और अभियोजन पक्ष कथित घोटाले के बारे में कोई मिलीभगत और जानकारी दिखाने में विफल रहा है। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक एक कर्मचारी होने के नाते कार्य को अंजाम दे रहा था और अपने नियोक्ता के निर्देशानुसार, वह एकाउंटेंट के रूप में काम कर रहा था। आवेदक की ओर से आपराधिक आशय या किसी उद्देश्य का कोई साक्ष्य नहीं था। उन्होंने कहा कि आवेदक ने कोई लाभ नहीं उठाया है या किसी त्रुटि तरीके से प्राप्त धन का लाभार्थी नहीं रहा है।उन्होंने कथित धोखाधड़ी गतिविधियों से कोई संपत्ति नहीं बनाई थी और होलोग्राम कंपनी के होलोग्राम की आपूर्ति और निर्माण के दायित्व को पूरा करने के लिए भेजे जा रहे थे।

11. यह तर्क दिया गया है कि आवेदक की गिरफ्तारी अवैध है क्योंकि कानून द्वारा गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) 8 एससीसी 273 के निर्णय मे निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहे, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि गिरफ्तारी के कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए तथा अभियुक्त को सूचित किया जाना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया है कि दबाव या जबरदस्ती के तहत दिए गए बयान साक्ष्य में अस्वीकार्य हैं जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992) अनुपूरक (1) एससीसी 335** में अभिनिर्धारित किया गया है।उन्होंने तर्क दिया कि षड्यंत्र का आरोप लगाने के लिए,षड्यंत्रकर्ताओं के बीच स्पष्ट और निश्चित करार को दर्शाने वाले साक्ष्य होने चाहिए, जैसा कि **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल (1979) 3 एससीसी 4** में कहा गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उन्होंने आगे तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने **पी रामहंस जादब बनाम उड़ीसा राज्य (1991) 2 एससीसी 48** में अभिनिर्धारित किया था कि केवल संगति या उपस्थिति से साझा आशय या षड्यंत्र साबित नहीं होती है। अभियोजन पक्ष को अवैध कार्य करने के लिए पूर्व करार के अस्तित्व को साबित करना होगा, जो इस मामले में नहीं है।

13. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का अपराध में कोई प्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं है और उसका नाम केवल कड़ियों को जोड़ने और मुख्य अभियुक्त तक पहुँचने के लिए जोड़ा गया है, जो पहले ही जमानत पर रिहा हो चुका है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसके भागने का खतरा नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक 25.10.2024 से बिना किसी विचारण के जेल में है। वह ग्रेटर नोएडा में कंपनी के मुख्यालय में काम कर रहा था और कथित अपराध के एकमात्र अभियुक्त और लाभार्थी त्रिलोक सिंह ढिल्लों को 27.11.2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है और आवेदक की भूमिका सह–आरोपी की तुलना में कम है, जिन्हें रिहा कर दिया गया था।

14. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक के पास से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है, न ही कोई दस्तावेज या नकदी बरामद हुई है। उन्होंने प्रस्तुत करता है कि माल के लिए चालान तैयार करना उनका काम था, जो आपराधिक कृत्य नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत करता है कि आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी नहीं है, लेकिन जब भी जरूरत होगी, वह खुद को सुनवाई के लिए पेश करने को तैयार है। उसके भागने का खतरा नहीं है और वह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा या साक्षीयों को प्रभावित नहीं करेगा।

उत्तरवादी हेतु अधिवक्ता की प्रस्तुति :

15. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता डॉ. सौरभ पांडे ने तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा प्रारंभिक आरोप पत्र दाखिल किया गया है और आवेदक के खिलाफ निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं।

16. वर्तमान आवेदक होलोग्राम प्रदान करने वाली कंपनी अर्थात प्रिज्म होलोग्राफी एंड सिक्योरिटी फिल्म्स लिमिटेड, कासना, ग्रेटर नोएडा के कारखाने में एकाउंटेंट के रूप में काम करता है।कंपनी के निदेशक विधु गुप्ता हैं। अक्टूबर 2019 में प्रिज्म होलोग्राम कंपनी को छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग को होलोग्राम आपूर्ति करने का टेंडर मिला और कंपनी ने जीएसटी भवन, नया रायपुर में अपना शाखा कार्यालय खोला और दिलीप पांडे को उक्त कार्यालय का प्रभारी बनाया गया। आबकारी विभाग की मांग के अनुसार ये होलोग्राम प्रिज्म होलोग्राम के नोएडा कार्यालय से रायपुर इकाई को भेजे गए। नोएडा से रायपुर इकाई में भेजे गए होलोग्राम में आबकारी विभाग द्वारा दिए गए नंबरों की सीरीज और क्यूआर कोड को प्रिंट किया गया और आबकारी विभाग के माध्यम से रायपुर इकाई से डिस्टिलरी और बॉटलिंग इकाइयों के साथ-साथ लाइसेंस प्राप्त बार को आपूर्ति की गई थी।यह प्रस्तुत है कि होलोग्राम आपूर्ति का टेंडर बीआरडीएस के तत्कालीन एमडी अरुणपति त्रिपाठी ने अवैध तरीके से दिया था, जिसमें मूल होलोग्राम के साथ डुप्लीकेट होलोग्राम भी भेज दिया गया था। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग को बिना नंबर के होलोग्राम आपूर्ति करने की यह प्रक्रिया नोएडा स्थित कार्यालय से रायपुर इकाई तक शुरू हुई, जहां मांग के अनुसार आबकारी विभाग द्वारा नंबर प्रिंट कर डिस्टिलरी को आपूर्ति की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. जिस वाहन में होलोग्राम भेजे गए, उसमें एक रोल में करीब 40,000 होलोग्राम थे। उसी वाहन में मूल होलोग्राम के रोल के साथ डुप्लीकेट होलोग्राम के दो रोल कॉरपोरेट बॉक्स में पैक कर प्लास्टिक बैग में रखे गए थे।बॉक्स में दो रोल के अनुसार लगभग 80,000 होलोग्राम थे, जिसमें छत्तीसगढ़ आबकारी में पूर्व में उपयोग किए गए होलोग्राम के नंबरों को फिर से प्रिंट करके भेजा जाता था।

18. सिंडिकेट के कुछ सहयोगी वाहन में डुप्लीकेट होलोग्राम के बॉक्स भरवाकर उसे धनेली गांव में अनुराग द्विवेदी के बोतल गोदाम में उतारते थे, जहां से डुप्लीकेट होलोग्राम डिस्टलरी को सप्लाई किए जाते थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि होलोग्राम परिवहन के समय चालान बिल वर्तमान आवेदक जो एक एकाउंटेंट है, द्वारा तैयार किया गया था। आवेदक चालान में वस्तुओं का पूरा विवरण लिखता था और उसके बाद नकली होलोग्राम और मूल होलोग्राम वाहन के माध्यम से भेजे जाते थे।प्रार्थी चालान में रोल का नम्बर तथा होलोग्राम का नम्बर,

उसकी कीमत उसके बराबर वाले कालम में लिखता था तथा डुप्लीकेट होलोग्राम के लिए चालान में एक बॉक्स लिखा जाता था तथा उसका नम्बर लिखा जाता था परन्तु बॉक्स में क्या भरा जाता था इसकी जानकारी कालम में नहीं लिखी जाती थी तथा चालान में उसकी जानकारी छिपा दी जाती थी। 19. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता डा. पाण्डेय द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त दिलीप पाण्डेय के मेमोरण्डम कथन से यह पता चला है कि होलोग्राम परिवहन के समय उनका चालान बिल वर्तमान प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित कर तैयार किया गया था। यह अभिकथित किया जाता है कि जब वाहन में मूल होलोग्राम भेजे गए तो चालान में वस्तुओं का पूरा विवरण लिखा गया था परन्तु जब डुप्लीकेट होलोग्राम मूल होलोग्राम के साथ भेजे गए तो उस समय चालान में रोल का नम्बर तथा होलोग्राम का नम्बर, उसकी कीमत आदि भी उसके बराबर वाले कालम में लिख दी गई थी। डुप्लीकेट होलोग्राम के लिए चालान में एक बॉक्स लिखा होता था और उसका नंबर लिखा होता था। बॉक्स में क्या भरा गया है, इसकी जानकारी कॉलम में नहीं लिखी जाती थी और इसकी जानकारी चालान में छिपा दी जाती थी। इस प्रकार आवेदक डुप्लीकेट होलोग्राम से भरे बॉक्स का विवरण चालान में न लिखकर जानकारी छिपाकर फर्जी चालान तैयार करता था। इस प्रकार डुप्लीकेट होलोग्राम भेजने के लिए चालान में विवरण छिपाने में आवेदक की भूमिका को देखते हुए यह सिंडीकेट से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विश्लेषण :

20. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना गया तथा आवेदक के विरुद्ध लगाए गए कथनों और आरोपों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

21. वर्तमान मामले में लगभग 70 अभियुक्त हैं, जबकि आरोप पत्र केवल 11 व्यक्तियों के विरुद्ध दायर किया गया है।अनुसूचित अपराध में 457 साक्षी हैं तथा वाद समाप्त होने की संभावना नहीं है।हालांकि, ईडी ने प्रस्तुत किया है कि अनुसूचित अपराध में कम से कम 3 से 4 आरोप पत्र दायर किए जाने बाकी हैं। अभिलेखों के अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक केवल एक एकाउंटेंट था, कंपनी में एक कर्मचारी था और वह अपने मालिक अर्थात निदेशक विधु गुप्ता के निर्देशों के तहत काम कर रहा था, जो प्रिज्म होलोग्राम और सुरक्षा फिल्म्स लिमिटेड, कासना, ग्रेटर नोएडा के मालिक हैं और साथ ही जीएसटी भवन, नया रायपुर में इसके शाखा कार्यालय के मालिक हैं।आवेदक के खिलाफ आरोप यह है कि वह आरोपी विधु गुप्ता की कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर काम करता है और उसने सिर्फ माल के बिल तैयार किए थे जो उसका नियमित प्रशासनिक कार्य था। किसी भी व्यक्ति को धोखा देने, धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने का कोई सवाल ही नहीं है।

22. आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों और कथनों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष यह दिखाने में विफल रहा है कि आवेदक ने अपराध में सचेत भागीदारी की थी।इस संबंध में न तो उससे कोई बेहिसाबी धनराशि बरामद की गई है और न ही आवेदक वर्तमान मामले में सिंडिकेट का सदस्य है, यह स्थापित हुआ है।

23. इसके अलावा यह प्रतीत होता है कि कथित अपराध के मुख्य आरोपी और लाभार्थी अर्थात त्रिलोक सिंह ढिल्लों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है और वर्तमान आवेदक की भूमिका को देखते हुए, जो कि रिहा किए गए सह–आरोपियों की तुलना में काफी कम है, इसलिए समानता के आधार पर, आवेदक को जमानत दी जानी चाहिए।इसके अलावा, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपराध के होने में उसकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी और स्वामी–सेवक संबंध के रूप में, उसने केवल आदेशों का पालन किया और अपने स्वामी अर्थात विधु गुप्ता के निर्देश पर माल के लिए चालान तैयार किया।कंपनी के निदेशक, जो कि एक आरोपी और सिंडिकेट के सदस्य हैं, को अन्य आरोपियों निरंजन दास आईएएस (पूर्व आबकारी आयुक्त, (छत्तीसगढ़) और यश टुटेजा (नामजद आरोपी), यश पुरोहित, नितेश पुरोहित के साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है और उन्होंने शराब आपूर्तिकर्ताओं से कमीशन प्राप्त किया था।

निष्कर्ष:–––

24. इस प्रकार, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक के भागने का कोई जोखिम नहीं है, न ही उसके द्वारा किसी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने या किसी साक्षी को प्रभावित करने की कोई प्रवृत्ति हो सकती है, क्योंकि साक्ष्य का पूरा क्षेत्र दस्तावेजी प्रकृति का है। आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी है और उसका कोई पूर्ववृत्त नहीं है। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आवेदक का मुख्य अभियुक्तों यानी अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और अरविंद सिंह से कोई संपर्क है।यहां यह भी बताना समीचीन होगा कि उन पर शराब सप्लायरों से कोई कमीशन लेने का आरोप नहीं है तथा आरोप केवल इतना है कि उन्होंने दो अलग–अलग प्रकार के चालान बनाए हैं अर्थात एक तो मूल होलोग्राम के लिए, जिसमें वे चालान में रोल नंबर तथा होलोग्राम नंबर के साथ–साथ उसके समानांतर वाले कॉलम में उसकी कीमत लिखते थे तथा दूसरी ओर डुप्लीकेट होलोग्राम के लिए चालान में एक बॉक्स बनाकर उसका नंबर लिख देते थे, लेकिन बॉक्स में क्या भरा गया है, इसकी जानकारी कॉलम में नहीं लिखते थे (खाली रखते थे) तथा इसकी जानकारी चालान में छिपा देते थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

25. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए तथा इसमें आवेदक की भूमिका और उसके खिलाफ आरोपों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, उपर्युक्त कारणों से वर्तमान आवेदक को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश देना उचित होगा।

26. तदनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ('बीएनएसएस') की धारा 483 के तहत आवेदक द्वारा की गई जमानत की प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है।वह 25.10.2024 से जेल में बंद है और ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय नियमित जमानत चाहने वाले आवेदक की तत्काल जमानत याचिका को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है।

27. तदनुसार यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदक को जेल अधीक्षक/विचारण न्यायालय की संतुष्टि के लिए 1,00,000/- रुपये के निजी बांड और उतनी ही राशि के दो स्थानीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:---

(क) वह किसी भी परिस्थिति में संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(ख) वह अपना पासपोर्ट, यदि कोई हो, विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा;

(ग) वह जब भी आवश्यक हो संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;

(घ) वह मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा;

(ङ) समस्त अपना मोबाइल नंबर प्रदान करेगा तथा इसे हर समय चालू रखेगा।

(च) वह जमानत पर रहने की अवधि के दौरान कोई भी अपराध नहीं करेगा; तथा

(छ) आवासीय पता और/या मोबाइल नंबर बदलने के मामले में, एक शपथ पत्र के माध्यम से संबंधित न्यायालय को सूचित किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. यह स्पष्ट किया जाता है कि मामले के गुण-दोष को प्रभावित करने वाली कोई भी टिप्पणी केवल वर्तमान जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से है और इसे विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में अंतिम टिप्पणी के रूप में नहीं समझा जाएगा।

सही/-
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur